

ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय

कामेश्वरनगर, दरमंगा

अभिषद् की बैठक दिनांक 29.10.2018 का कार्यवृत्त

समयः 02:00 बजे उपस्थिति स्थानः माननीय कुलपति महोदय के आवासीय समागार

1.	प्रो0 सुरेन्द्र कुमार सिंह, कुलपति	_	अध्यक्ष
2.	प्रो0 जय गोपाल	-	सदस्य
3.	डॉ० मोला चौरसिया	_	सदस्य
4.	डॉ0 अजीत कुमार चौधरी		सदस्य
5 .	श्रीमती इस्मत जहाँ	*****	सदस्य
6.	डॉ० बैद्यनाथ चौघरी	. —	सदस्य
7 .	डॉ० विनोद कुमार चौधरी	_	सदस्य
8.	श्री लक्ष्मेश्वर राय	-	सदस्य
9.	डॉ0 महेन्द्र प्रसाद सिंह		सदस्य
10.	डॉ० अमर कुमार		सदस्य
11.	डॉ० हिमांशु शेखर		सदस्य
12.	श्री संजय सरावगी		सदस्य
13.	डॉ० फैयाज अहमद		सदस्य
14.	डॉ० डी० एन० पासवान	_	सदस्य
15.	डॉ० प्रेम कुमार प्रसाद	_	सदस्य
16.	डॉ० श्याम चन्द्र गुप्ता	_	सदस्य
17.	डॉ0 जे0 एन0 मिश्र	_	सदस्य
18.	मो० अमानुल हक	*****	आमंत्रित सदस्य
19.	श्री विनोद कुमार	_	आमंत्रित सदस्य
20.	कर्नल निशीथ कुमार राय	_	सचिव
			•

सर्वप्रथम कुलसचिव द्वारा समी माननीय सदस्यों का स्वागत किया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमित से बैठक की शुरूआत हुई। बैठक के शुरूआत में माननीय विधायक श्री संजय सरावगी, डॉ० बिनोद कुमार चौधरी तथा डॉ० बैद्यनाथ चौधरी ने व्यवस्था पर कुछ सवाल उठाया। व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए डॉ० बिनोद कुमार चौधरी और डॉ० बैद्यनाथ चौधरी ने डॉ० गुणानन्द झा के केस में M.R.S.M. College, Darbhanga के जी०बी० पर जाँच समिति द्वारा किये गये टिप्पणी पर आपत्ति उठाई। साथ ही, उन्होंने कहा कि चयन समिति द्वारा किये गये अनुशंसा में शासी निकाय द्वारा किसी भी प्रकार का फेर बदल नहीं किया गया। निर्णय लिया गया कि शासी निकाय अपनी आपत्तियाँ लिखित रूप में विश्वविद्यालय को प्राप्त करा देगा। साथ हीं इस मामले को पूर्व में गठित समिति द्वारा जाँच कराए जाने का निर्देश दिया गया। संबंद्ध महाविद्यालय के संबंध में ही डॉ० चौधरी ने कहा की हाल में ही Affiliated Colleges के अध्यापकों के notification में वित्त रहित शब्द के प्रयोग के कारण S.M.R.C.K. College, Samstipur में कुछ शिक्षकों को भुगतान नहीं किया जा रहा है। इस पर निर्णय लिया गया कि शीध ही उचित एवं नियमानुकूल कार्यवाही की जायेगी।

श्री संजय सरावगी ने प्रश्न उठाया कि समय से पूर्व प्रश्न देने के बाद भी दूरस्थ शिक्षा निदेशालय में स्कूल गुरू नामक आई0सी0टी0 सर्विस प्रोभाईंडर के विषय को मुख्य एजेन्डा में शामिल नहीं किया गया। इस पर अध्यक्ष महोदय ने बताया कि स्कूल गुरू पर विस्तृत जानकारी पिछले बैठक में दे दी गई थी और अधिकांश सदस्य उससे संतुष्ट थे। स्कूल गुरू पर कुछ अन्य सदस्यों ने पुनः जानकारी चाही। काफी देर विचार विमर्श के बाद सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि एक समिति जिसमें श्री संजय सरावगी, डा० फैयाज अहमद एवं श्री लक्ष्मेश्वर राय सदस्य रहेंगे, गठित की जाती है, जो दिनांक 02.11.2018 को अपराहन 2:00 बजे दूरस्थ शिक्षा निदेशालय जा कर स्कूल गुरू से संबंधित सभी प्रक्रियाओं का अवलोकन करेंगे और अपनी राय देंगे। अध्यक्ष महोदय ने सदन को आश्वस्त किया कि जब तक माननीय सदस्यगण इस मामले पर अपनी राय नही देते, स्कूल गुरू के खाते में राशि नहीं जायेगी। इसके बाद कुलसचिव महोदय ने ICT के बारे में संक्षिप्त विवरणी सदन के समक्ष प्रेश की।

मद सं0 1. निर्णयः	अभिषद् की गत बैठक दिनांक 20.09.2018 के कार्यवृत की संपुष्टि पर विचार। अभिषद् की गत बैठक दिनांक 20.09.2018 के कार्यवृत को संपुष्ट किया गया।	
मद सं0 2 निर्णयः	अभिषद् की बैठक दिनांक 20.09.2018 में पारित प्रस्तावों के अनुपालन—प्रतिवेदन पर विचार। जेम पोर्टल के माध्यम से क्रीत सामग्रियों की सूची तथा रोस्टर से संबंधित सूचना सदन में देने के प्रश्न पर, सदन को सूचित किया कि सभी वांछित सूचनाएँ उपलब्ध करा दी जायेगी।	
	Library Automation के संबंध में श्री संजय सरावर्गी ने विश्वविद्यालय के जबाव से अपनी आपत्तियाँ दर्ज कराते हुए एक पत्र विश्वविद्यालय को साँपा। सदन को आश्वस्त किया गया कि उन सभी मामलों को देख कर उचित जबाब दिया जाएगा। पिछली बैठक के मद सं. 5 के अनुपालन में हो रही देरी पर सदन ने शिद्यताशीध DR-	
	II कार्यालय के द्वारा इस पर कारवाई करने का आश्वासन दिया। इसके साथ ही, अभिषद की बैठक दिनांक 20.09.2018 में पारित प्रस्तावों के अनुपालन—प्रतिवेदन को सदन के समक्ष एखा गया तथा सदस्यों द्वारा उस पर संतोष व्यक्त किया गया। परिशिष्ट —(क) पु0सं0—(11—15)	
<i>/</i> .		

विद्वत् परिषद् की बैठक दिनांक 22.10.2018 के कार्यवृत के अनुमोदन पर विचार। मद सं0 3. विचारोपरान्त, सर्वसम्मित से विद्वत परिषद की बैठक दिनांक 22.10.2018 को अनुमोदित किया निर्णयः गया।

परीक्षा परिषद की बैठक दिनांक 28.09.2018 के कार्यवृत के अनुमोदन पर विचार।

निर्णयः सर्वसम्मति से परीक्षा परिषद् की बैठक दिनांक 28.09.2018 को अनुमोदित किया गया।

वित्त समिति की प्रस्तावित बैठक दिनांक 24.10.2018 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार। मद सं0 5. श्री संजय सरावगी ने दूरस्थ शिक्षा निदेशालय के आय एवं व्यय को भी वार्षिक बजट में निर्णय:

शामिल करने का विचार रखा, तथा UMIS हेतु प्रस्तावित राशि (tentative amount of the project to be specified) को भी दर्शाने का आग्रह किया। तदनुपरान्त, वित्त

समिति की बैठक दिनांक 24.10.2018 के कार्यवृत्त को अनुमोदित किया गया।

श्री अरूप कुमार मिश्र, सेवानिवृत चर्यालिपिक / निम्नवर्गीय लिपिक, वीमेंन्स कॉलेज, समस्तीपर को समय से पूर्व सेवा निवृत्त किये जाने के संबंध में विचार।

इस कार्य हेत् अधिषद ने अध्यक्ष महोदय को मामले से संबंधित तमाम जानकारी के आलोक में

समुचित एवं विधिसम्मत कारवाई करने हेत् अधिकृत किया गया।

अतिरिक्त यदि कोई हो (अध्यक्ष की अनुमति से)। मद सं0 7.

अतिरिक्त मद सं0 1. विश्वविद्यालय अधिसूचना SC/8486/18 दिनांक 25.09.2018 द्वारा उपकुलसचिव -1 के संयोजकत्व में गठित समिति द्वारा विश्वविद्यालय एवं इसके क्षेत्रांर्तगत कार्यरत संविदा/ आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवा शर्त की समीक्षा, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, राज्यमवन, पटना की अधिसूचना 41/2013-429/रा0स0 (1) दिनांक 04.03.2014 एवं बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प 3एम-132018 सां0 12534/पटना 15 दिनांक 17.09.2018 के आलोक में की गई समिति की अनुशंसा अभिषद के विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।



मद सं 4.

मद सं0 6.

निर्णयः

अन्यान्य मद सं0 08 अन्यान्य मद सं0 09

अधिषद् कि बैठक दिसम्बर में आयोजित करने का निर्णय लिया गया। Regulation for University Examination prepared by Pro-V.C., checked by Deans of various faculties and approved by V.C. for consideration in the Syndicate was discussed and approved.

माननीय अध्यक्ष महोदय के अनुमति से कुलसचिव महोदय ने घन्यवाद ज्ञापित करते हुए समी माननीय सदस्यों से तरंग की तैयारी देखने एवं सुझाव देने हेतु डा० नागेन्द्र झा स्टेडियम चलने का आग्रह किया।

ह0 /-(निशीथ कुमार राय) कुलसचिव-सह-सचिव

प्रतिलिपि प्रेषित:-

(सूरेन्द्र कुमार सिंह)

- 1. अभिषद् के सभी माननीय सदस्य, ल0ना0 मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा।
- 2. सचिव, उच्च शिक्षा बिहार, पटना।
- निदेशक, उच्च शिक्षा, बिहार, पटना।
- 4. उप-सचिव, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना।
- 5. **नोडल पदाधिकारी (विश्वविद्यालय वेबसाईट)**, ल0ना० मिथिला विश्वविद्यालय, दरमंगा।
- 6. सभी पदाधिकारी/कुलपति के सचिव/प्रति-कुलपति/वित्तीय परामर्शी/कुलसचिव के निजी सहायक, ल0ना0 मिथिला विश्वविद्यालय, दरमंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ।